इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 3131.—मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानदण्ड विहित करता है, जिनकी पूर्ति न होने पर वे असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हेतु अपात्र हो जायेंगे:—

1. असंगठित कर्मकार जिसके पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है.
2. असंगठित कर्मकार जो आयकर दाता नहीं है.

अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.